रूप क्रमांक ५

(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक 16481

यह प्रमाणित किया जाता है कि रोजगार महिला सेवा समिति समिति जो न्यू शिवपार रोड, तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) के अधीन 30.4.1986 को पंजीयित की गई है।

दिनांक तीस माह अप्रैल सन् १९८६

मुद्रा

समितियों के रजिस्ट्रार

GRPRJ—PB/381—26-3-83—20,000.

Scanned with OKEN Scanner

S/10402/89
19/1/90

// ज्ञापन पत्र //

(1)	संस्था का नाम	:	बेरोजगार महिला सेवा समिति
(2)	संस्था का कार्यालय	:	खुर्सीपार जोन-3, सड़क नं. एम्यू सी0 भिलाई दुर्ग (म0प्र0)
(3)	[illegible]	:	प्रत्येक कार्य के लिए संस्था वित्तीय वर्ष का पालन करेगी ।
(4)	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग व सम्पूर्ण म.प्र.

(5) संस्था का उद्देश्य निम्न प्रकार होगा-

(1) महिलाओं के सामाजिक, [illegible] शैक्षणिक व बौद्धिक विकास हेतु प्रयत्न करना व शिक्षण संस्थाएं, वाचनालय आदि का संचालन करना व उनकी सहायता करना ।

(2) महिलाओं के आर्थिक विकास के लिये समय-समय पर उन्हें रोजगार संबंधी सलाह देना, शासन द्वारा संचालित कोई भी योजना को उनके सहायतार्थ संचालित करना व उनके उत्थान व विकास व कल्याणार्थ गृह उद्योग प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना, उसका संचालन करना व उसमें सहयोग करना ।

(3) महिलाओं व सदस्यों के स्वास्थ्य बौद्धिक विकास व मनोरंजन के लिये राष्ट्रीय व धार्मिक त्यौहारों उत्सवों, पर्वों आदि का आयोजन करना व उसमें सहयोग करना ।

(4) बच्चों, गर्भवती महिलाओं, प्रकृति प्रकोप व अन्य परिस्थितियों में बने असहाय निराधार व वृद्ध व्यक्तियों व अन्य जरूरत मन्द लोगों की यथासंभव सहायता करना, उचित सुविधा प्रदान करना व शासन द्वारा उपलब्ध सहायता व योजना का लाभ उन तक पहुंचाना व उसमें सहायक होना ।

(5) समिति को प्राप्त आय, दान, ऋण व अन्य आय सम्पत्ति आदि का समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना, जमा करना, भवन सम्पत्ति आदि निर्माण में लगाना, उनकी देख रेख में खर्च करना व अन्य तरह के समिति के हित में उपयोग में लाना ।

(6) बच्चों व महिलाओं व समाज के अन्य व्यक्तियों के सहायतार्थ शिक्षण संस्था, बाल मन्दिर, झूलाघर, उद्यान आदि की व्यवस्था करना शासन से प्राप्त सहायता लेना व उसका इसमें उपयोग करना व सभी प्रकार का संचालन करना ।

(7) अन्य सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक बौद्धिक, आर्थिक विकास के कार्य

- -

अध्यक्ष	मनीबाई उपाध्यक्ष	कमलावती देवी सचिव
अध्यक्षा बेरोजगार महिला सेवा समिति जोन-3, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-2	उपाध्यक्षा बेरोजगार महिला सेवा समिति जोन-3, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-2	सचिव बेरोजगार महिला सेवा समिति जोन-3, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-2

क्रमशः 2

Scanned with OKEN Scanner

करना जिससे समाज, महिलाओं व बच्चों को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता हो तथा अन्य इस तरह के कार्य करना जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय नगर निगम या अन्य व्यक्तियों संस्थाओं से सहायता या सहयोग, दान आदि प्राप्त होवे ।

§8§ अन्य सभी ऐसे विधिपूर्ण कार्य करना, करवाना, संचालन करना व उसमें सहायक होना जो धार्मिक सामाजिक या चेरिटेबल कहा जा सके व जो समिति के उपरोक्त उद्देश्यों की भावना और सिद्धान्तों के अनुकूल व अनुरूप होवे तथा उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक व प्रासंगिक होवें ।

§9§ समिति द्वारा देश व प्रदेश के युवकों में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को कम करने हेतु नशाबन्दी का कार्य करना ।

§6§ सदस्यता:

§अ§ संरक्षक सदस्यता: जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में 301-00 रू० या अधिक एक मुश्त या एक वर्ष में बारह किश्तों में देय देगा, वह संरक्षक सदस्य होगा । इस आशय की आवेदन निर्धारित प्रपत्र में लिखित देना आवश्यक होगा ।

§ब§ आजीवन सदस्य: जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में 151.00रू0 अधिक देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । §कोई भी आजीवन सदस्य 151.00रू0 देकर संरक्षक बन सकता है§ इस संस्था के ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वाले सदस्य व पदाधिकारी आजीवन सदस्य रहेगें ।

§स§ साधारण सदस्य: जो व्यक्ति 1रू0 प्रतिमाह या 12 रू0 प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा । वह साधारण सदस्य उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए चन्दा दिया है 2 चन्दा वार्षिक माह जून तक व मासिक प्रति माह के 10 तारीख तक देना होगा जो साधारण सदस्य तीन माह तक देय चन्दा नही देगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी । ऐसी सदस्यता के लिए आवेदन पत्र तथा बकाया चन्दा की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

§द§ सम्मानीय सदस्य: संस्था को प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति चाहे वह पुरूष हो या महिला के समय के लिए जो वह उचित समझे तो सम्मानीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं । परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

§7§ सदस्यता की प्राप्ति: प्रत्येक महिला जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक है उसे लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसे आवेदन प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत करना होगा जिसका आवेदन पत्र को स्वीकार करने या न करने की अधिकार होगा ।

अध्यक्ष
अध्यक्षा
बेरोजगार महिला सेवा समिति
जोन-२, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-७

उपाध्यक्ष
उपाध्यक्षा
बेरोजगार महिला सेवा समिति
जोन-२, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-७

सचिव
सचिव
बेरोजगार महिला सेवा समिति
जोन-२, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-७

....3

Scanned with OKEN Scanner

§8§ सदस्यों की योग्यता: संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी भी महिला में निम्नलिखित योग्यता होना अनिवार्य है :-

1: आयु 18 वर्ष से कम न हो
2: भारतीय नागरिक हो ।
3: समिति के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की हो ।
4: सच्चरित्र हो ।

§9§ सदस्यता की समाप्ति :- सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी ।

1: मृत्यु हो जाने पर 2: पागल हो जाने पर, 3: संस्था का देय चन्दे की रकम नियम 5 में बकायानुसार जमा न करने पर, 4: चारित्रिकदोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर, जिसके निर्णय की सूचना दी जायेगी । परन्तु कारण बताना आवश्यक न होगा ।

§10§ सदस्य पंजी:- संस्था कार्यालय में सदस्यता पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किए जायेंगे :-

1: प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय
2: वह श्रेणी जिसमें सदस्य को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर
3: वह तारीख जिसमें सदस्यता प्राप्त हुई हो या समाप्त हुई हो ।

§11§ साधारण सभा : साधारण सभा के नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेश होंगें ।साधारण सभाकी बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार जनवरी माह के पहले अवश्य होगी । बैठक का स्थान व दिनांक कार्यकारिणी समिति निर्धारित कर सूचना 15 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को देगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्य का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक के 3 माह के भीतर बुलायी जायेगी । जिसमें संस्था के पदाधिकारियों का तीन साल के कार्यकाल की पुष्टि की जावेगी ।

§ब§ प्रबंधकारिणी सभा : प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक दो माह में होगी । तथा बैठक का एजेन्डा तथा बैठक की सूचना, बैठक के दिनांक से 7 दिन पूर्व कार्य कारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों को होगा यदि बैठक का कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक आधे घन्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी । जिसके लिए कोरम की शर्त न होगी । या तो अध्यक्ष द्वारा उसी बैठक में सूचना देकर अगले सप्ताह किसी भी दिन के लिये रखी जा सकेगी जिसके लिए अलग से बैठक की सूचना देना जरूरी न होगा तथा ऐसी बुलाई गई बैठक में कोरम की शर्त भी न रहेगी ।

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव
अध्यक्षा बेरोजगार महिला सेवा समिति जोन-३, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-३	उपाध्यक्षा बेरोजगार महिला सेवा समिति जोन-३, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-३	सचिव बेरोजगार महिला सेवा समिति जोन-३, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-३

Scanned with OKEN Scanner

(11) (ख) विशेष बैठक: यदि कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 द्वारा लिखित रूप में बैठक हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर उस दिनांक से 14 दिन के भीतर पंजीयक को संकल्प की प्रति व सूचना भेजी जायेगी ।

(12) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

(अ) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।

(ब) संस्था के स्थायी चल अचल सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।

(स) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।

(द) विधान एवं ज्ञापन संशोधन संबंधी विषयों पर ज्ञापन देना । प्रबंधकारिणी समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर नई कार्यकारिणी का निर्वाचन करना ।

(इ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।

(ई) संस्था एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।

(13) प्रबंधकारिणी का गठन : नियम 5 अ,ब,स, में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी में दर्ज हो, एवं वैधानिक सदस्य हो, तथा जो निर्धारित प्रपत्र चुनाव के लिये भरे उनमें से बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा । परन्तु सिर्फ अ और ब श्रेणी के सदस्य के ही पदाधिकारी बन सकेगें यदि वे इसके लिये राजी न होवे या उनकी संख्या कम होवे तो "स" श्रेणी के सदस्य भी पदाधिकारी बन सकेगें ।

1: अध्यक्ष, 2: उपाध्यक्ष, 3: सचिव, 4: कोषाध्यक्ष

5: संयुक्त सचिव एवं सदस्य दो

(14) प्रबंधक समिति का कार्यकाल: प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा । यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक तक नये प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, कार्य करती रहेगी। किन्तु निर्वाचन समयावधि समाप्त होने के 6 माह के अन्दर निर्वाचन कराना आवश्यक होगा ।

अध्यक्ष	सन्तीबाई उपाध्यक्ष	कुन्तीबाई देवी सचिव
अध्यक्षा बेरोजगार महिला सेवा समिति जोन-2, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-2	उपाध्यक्षा बेरोजगार महिला सेवा समिति जोन-2, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-2	सचिव बेरोजगार महिला सेवा समिति जोन-2, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-2

Scanned with OKEN Scanner

15: <u>प्रबंधकारिणी समिति का रजिस्टर</u>: समिति प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के नाम पता, व्यवसाय आदि से संबंधित एक रजिस्टर रखेगी ।

16: <u>प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य</u>:

1: [illegible] उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की व्यवस्था करना ।

2: पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतया परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

3: समिति एवं उसके आधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तो आदि का भुगतान की व्यवस्था करना । संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले करों आदि का भुगतान करना ।

4: कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

5: आवश्यकतानुसार समय-समय पर नई प्रबंधकारिणी के चुनाव का प्रबंध करना व कार्यवाही पुर्ण करना ।

6: अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय पर सौंपे जाये ।

7: संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम पर रहेगी ।

8: विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर साधारण सभा विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति प्राप्त करना साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजना ।

9: समिति के कार्यकलाप के संचालन हेतु चुनाव हेतु व अन्य विषयों बाबत जिसके लिये स्पष्ट उल्लेख इन नियमों में न हो, नियम उपनियम खुद बनाना तथा उसे स्थाई रूप से लागू करने साधारण सभा से भी पास करवाना ।

10: सदस्यों के व्यवहार व संबंधों संबंधित आधार संहिता/नियम बनाना । आवश्यकतानुसार उसके पालन न होने पर आर्थिक दण्ड आदि निर्धारित करना ।

11: समिति के कार्यके लिये और या समिति द्वारा संचालित संस्थाओं

	मनीबाई	कमलावती देवी
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव
अध्यक्षा	उपाध्यक्षा	
बेरोजगार महिला सेवा समिति	बेरोजगार महिला सेवा समिति	बेरोजगार महिला सेवा समिति
जोन-3, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-3	जोन-3, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-3	जोन-3, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-3

....6

Scanned with OKEN Scanner

के लिये सलाहकार मण्डल विभागीय व अन्य मण्डल बनाना जिसमें आवश्यकतानुसार बाहरी व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री लिये जा सकेंगे ।

13: समिति के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने वास्ते आय के साधन जुटाना दान/चन्दा आदि जमा करना, स्थाई व अस्थाई सम्पत्ति अर्जन करना व समिति के उद्देश्यों हेतु उसका उपयोग करना ।

[17] अध्यक्ष के अधिकार:

1: अध्यक्ष साधारण सभा व प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा व प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

2: प्रबंधकारिणी द्वारा समय-समय पर पारित प्रस्तावानुसार एक समय में एक कार्य पर 100/ रु0 या उससे अधिक तक व्यय की स्वीकृति देना ।

[18] उपाध्यक्ष के अधिकार: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

[19] सचिव [मंत्री] के अधिकार :

1: साधारण एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।

2: समिति का आय-व्यय लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा में प्रस्तुत करना ।

3: समिति के सारे कागजातों को तैयार करना और करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमित पाये जाने पर सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

4: सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में 50/रु0 या उससे अधिक सभी समय समय पर पास करें खर्च करने का अधिकार होगा

[20] कोषाध्यक्ष के अधिकार: समिति की धनराशि की पूर्ण हिसाब रखना तथा अध्यक्ष सचिव या प्रबंधकारिणी द्वारा स्वीकृत भुगतान करना ।

स अध्यक्ष
अध्यक्षा
बेरोजगार महिला सेवा समिति
जोन-३, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-७

संतोबाई
उपाध्यक्ष
उपाध्यक्षा
बेरोजगार महिला सेवा समिति
जोन-३, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-७

सचिव
बेरोजगार महिला सेवा समिति
जोन-३, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-७

.....7

§21§ बैंक खाता : बैंक की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा ।

§22§ पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी:
अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था को वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल में की जायेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का परीक्षित लेखा भेजेगी ।

§23§ संशोधन: संस्था के विधान में संशोधन विशेष साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीयक विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फार्म एवं संस्था को होगा ।

§24§ सम्पत्ति: संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति§स्थावर§ रजिस्ट्रार की अनुशंसा के बिना विक्रय द्वारा दान, द्वारा अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकती है ।

§25§ पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना: संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फार्म एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही वह बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित करेगा ।

§26§ विवाद: संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद को निर्णय के लिए भेजे जायेगें । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

§27§ विघटन: संस्था को विघटन साधारण सभा को किस परियोजन हेतु बुलायी गई बैठक में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति दायित्वों के सुझाव के बाद किसी समान सउद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जायेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की जावेगी ।

अध्यक्ष — उपाध्यक्ष — सचिव

अध्यक्षा
बेरोजगार महिला सेवा समिति
जोन-3, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-3

उपाध्यक्षा
बेरोजगार महिला सेवा समिति
जोन-3, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-3

सचिव
बेरोजगार महिला सेवा समिति
जोन-3, पुराना खुर्सीपार, भिलाई-3

Registrar,
Firms & Societies,
M. P. Bhopal